विधि सतर्कता कैम्प का आयोजन

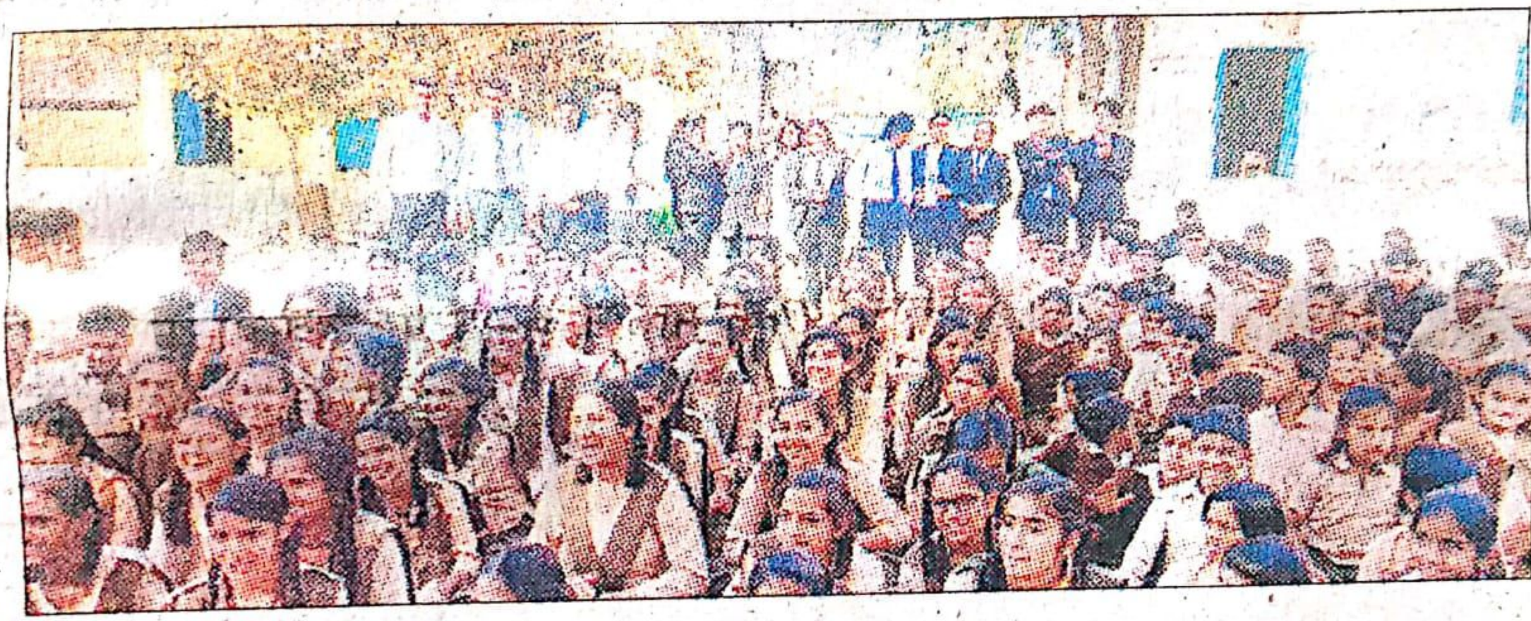

गंगरार। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक सतर्कता कैम्प का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौगावड़ी में किया गया। मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह यादव द्वारा अनुच्छेद 21, पोक्सो एक्ट, समाज में व्याप्त एक कुरीति-बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी दी। बच्चों को गुड टच व बेड टच के बारे में बताया। कार्यक्रम में सरपंच बहादुर सिंह, उपसरपंच मनोज सोलंकी व विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह राणावत, संजीव आदि उपस्थित रहे। अन्त में अमित दाधीच ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

चौगावड़ी में विधिक साक्षरता शिविर

चित्तौड़गढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक सतर्कता केम्प का आयोजन राउमावि चौगावड़ी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगरार के न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह यादव रहे। मुख्य अतिथि द्वारा अनुच्छेद 21, पोक्सो एक्ट, समाज में व्याप्त एक कुरीति-बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी के साथ। बच्चों को गुड टच व बेड टच के बारे में बताया। कार्यक्रम में सरपंच बहादुर सिंह, उपसरपंच मनोज सोलंकी व विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह राणावत, संजीव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय के छात्र अटल बिहारी एवं महेन्द्र कुमार द्वारा किया गया। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक, कविता, भाषण, नृत्य आदि प्रस्तुतियों द्वारा कानून की सामान्य जानकारी दी। कार्यक्रम में विधि संकाय के शिरीष कुमार, लविना चपलोत, हेमराज शर्मा आदि ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। अन्त में अमित दाधीच ने धन्यवाद ज्ञापित किया।